

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2016—कार्तिक 5, शक 1938

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. एफ. 35-71-2015-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा 12-शहडोल (एस.टी.) लोकसभा एवं 179-नेपानगर (एस.टी.), जिला बुरहानपुर, लोकसभा/विधान सभा उप निर्वाचन 2016 के लिये निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(क) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा:—

- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल.
- पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
- रेज पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर, शहडोल, इंदौर.
- पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, बुरहानपुर व उनके अधीनस्थ निर्वाचन कार्य में लगे पुलिस अधिकारीगण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.